

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज 0 जयपुर


क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)()डीएलबी/20/575

दिनांक: 17-02-2021

आदेश

निर्देशानुसार श्रीमती भगवती पंवार अधिवक्ता (रजिस्ट्रेशन नं. आर/40/2008)को नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) के विरुद्ध न्यायिक प्रकरणों में अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी करने हेतु पैगल अधिवक्ता/विधि सलाहकार नियुक्त किया जाता है। इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) से देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(दीपक नन्दी)


निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 17-02-2021

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)()डीएलबी/20/576-583

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर।
05. सभापति/आयुक्त, नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) ।
06. श्रीमती भगवती पंवार एडवोकेट मार्फत, नगर निगम जोधपुर (दक्षिण)।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी